

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

—:विविध—आदेश:—

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....125 /  
/ दो-1-1 / 2000

रीवा, दिनांक 02/05/2025

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुश्री अदिती अग्रवाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा का स्थानांतरण अन्य जिला स्थापना हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-336/दो-1-1/2000 दिनांक 30 अप्रैल 2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:—

सरल क्रमांक-33 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के स्तम्भ क्रमांक-04 की 1 के पश्चात् कंडिका क्रमांक-2 एवं 3 निर्मित कर निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है:—

2 “माह मई, जून एवं जुलाई में रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण”

3 “रुपये दौ सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा-9 द्वारा अधिकृत)”

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

Sd/-  
(राकेश मोहन प्रधान)

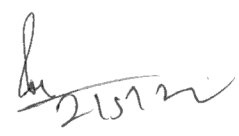
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0...2217 /  
दो-1-1 / 2000

रीवा, दिनांक 02/05/2025

प्रतिलिपि:—

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / सिरमौर / मऊगंज / त्योंथर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जे0एस0ए0 / डी0एस0ए0 / फाईलिंग काउण्टर रीवा  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)